न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4295–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–12–2012 पारित द्वारा तहसीलदार, इन्दौर प्रकरण कमांक 40/अ–12/2012–13.

मेसर्स हाजी कंपनी भागीदारी फर्म
तर्फे भागीदार एवं अधिकृत प्रतिनिधि
अशफाक सिद्धिकी पिता हाजी इब्राहिम सिद्धिकी
निवासी 55, 56, 57 कादर कॉलौनी
खजराना, इन्दौर .....आवेदक

विरूद्ध

1– हरीश मुखी पिता होतमचन्द मुखी
2– श्रीमती रेणु पति हरीश मुखी
निवासीगण 59–एम, खातीवाला टैंक
इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री संजय जैन, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/8/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, इन्दौर द्वारा पारित आदेश 17–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर, इन्दौर को इस आशय की शिकायत की गई कि उनके स्वामित्व की ग्राम खजराना तहसील इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1105, 1528/3/2 0.110 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु तहसीलदार, इन्दौर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, किन्तु 6 माह पश्चात भी सीमांकन नहीं किया गया है । उक्त शिकायती आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर द्वारा दिनांक 5–12–12 को तहसीलदार को प्रेषित किया । उक्त आदेश के पालन में तहसीलदार, इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/अ–12/12–13 दर्ज कर आदेश दिनांक 17–12–2012 द्वारा राजस्व निरीक्षक को अविलम्ब सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक को एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाने थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:–

(1) अनावेदकगण द्वारा तथाकथित विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई भूमि का उसे कभी भी आधिपत्य प्राप्त हुआ ही नहीं है । अनावेदकगण का विक्रय पत्र अनाधिकृत, फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रारूपित किया गया है । ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को भूमि का सीमांकन करवाने का अधिकार नहीं है, इस बावत् आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा भूल की गई है ।

(2) अनावेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में यद्यपि अंकित है, किन्तु वह भूमि का वास्तविक क्रेता एवं स्वामी न होने बावत् प्रमाण स्वरूप आवेदक ने फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत समस्त अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु उक्त दस्तावेजों को अनदेखा कर उन पर किंचित मात्र भी विचार न करते हुए आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल की है ।

(3) संहिता की धारा 129 के अंतर्गत अभिलिखित भूमिस्वामी या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर सीमांकन की कार्यवाही की जा सकती है । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अनावेदकगण जिस विक्रय विलेख के आधार पर

नामांतरण होना दर्शाता है तथा अपने आपको भूमिस्वामी होना बताया है, सभी दस्तावेज फौजदारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपराधिक प्रकरण में विचाराधीन होकर सभी दस्तावेज कूटरचित होने के कारण आपराधिक प्रकरण कायम किया है । इस कारण अनावेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि में कोई स्वत्व न होते हुए भी आवेदकगण का सीमांकन आदेशित करने में भूल हुई है ।

(4) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में अनावेदकगण के स्वामित्व के दस्तावेजों की मांग की गई थी । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के लिये भी अनावेदकगण से दस्तावेज न बुलाकर उन्हें सत्यापित न करते हुए मात्र ऋण पुस्तिका की छायाप्रति के आधार पर सीमांकन किया जाना आदेशित किया है ।

(5) तहसील न्यायालय का आदेश विधि–विधान, प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन में पारित किया गया होने से प्रश्नाधीन आदेश इसी आधार पर निरस्ती योग्य है ।

(6) आवेदक हितबद्ध और सीमावर्ती कृषक होने के बावजूद भी उसे सूचना पत्र नहीं दिया गया है । इस कारण सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं शून्यवत होने से निरस्ती योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तक प्रस्तुत किया गया कि आवेदक सीमांकन कार्यवाही नहीं होने देना चाहता है, जिसका उन्हैं कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अनावंदेकगण अपनी भूमि का सीमांकन करा रहे हैं । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिसका निराकरण करते हुए तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश उचित होने से यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि यद्यपि अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि का अभिलिखित भूमिस्वामी है, परंतु उसका प्रश्नाधीन भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, और फर्जी विकय पत्र के आधार पर स्वत्व प्राप्त किया गया है, जिसके सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है, अतः सीमांकन नहीं किया जाये। इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक

अभिलिखित भूमिस्वामी है, और उसे अपनी भूमि का सीमांकन कराने का पूर्ण अधिकार है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अभी प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर, सीमांकन आदेश पारित करना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और आवेदक साक्ष्यों से यह प्रमाणित कर सकता है कि वास्तविक रूप से प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी अनावेदक नहीं होकर आवेदक है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2012 स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर